न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2023 G.C.M.S. No. 2023/116 दर्ज दिनांक : 18.04.2023

अपीलार्थिगण:

1. उमाराम पुत्र प्रागा उम्र व्यस्क पेशा खेती जाति कलबी
2. देवाराम पुत्र अमरा उम्र व्यस्क पेशा खेती जाति कलबी
3. चौती पुत्री अमरा उम्र व्यस्क पेशा खेती जाति कलबी
4. अणदू पुत्री अमरा उम्र व्यस्क पेशा खेती जाति कलबी
5. प्रेमा पुत्र हिमा उम्र व्यस्क पेशा खेती जाति कलबी
6. दरगा पुत्र हिमाजी उम्र व्यस्क पेशा खेती जाति कलबी

सर्वनिवासीयान जीरावल, तहसील रेवदर जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भखाराम पुत्र रगाजी, जाति कुम्हार, निवासी जीरावल, तहसील रेवदर जिला सिरोही
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2022 बअनवान भखाराम बनाम उमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.03.2023

पैरोकार:–

1. श्री उमाराम रबारी विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 28.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2022 बअनवान भखाराम बनाम उमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 नें अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान से परे जाकर मौका फर्द दिनांक 14.12.2022 की रिपोर्ट को दिनांक 03.02.2023 की आदेशिका में लेकर शामिल मिसल किया गया है। जांच रिपोर्ट/मौका फर्द पटवारी जीरावल व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से मेल मिलावट से तैयार की है उक्त मौका फर्द अप्रार्थीगण के ज्ञान के बिना ही पीठ पीछे तैयार की है उक्त मौका फर्द के अवलोकन से साफ जाहिर होता है कि केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके भाई हिन्दाराम व पटवारी जीरावल के हस्ताक्षर है उक्त मौका फर्द में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही यह अंकित है कि अपीलार्थीगण ने उक्त मौका फर्द पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान करने से मना किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एक ही पक्षकार बना है जबकि खसरा संख्या 628/2, 629/2 में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अलावा हिन्दाराम, केसाराम, फूलाराम, अरविन्द कुमार, पुत्रगण भूराराम, वालीदेवी पत्नी भूराराम, बाबूराम व छोगाराम भी पक्षकार व सयुक्त खातेदार है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने न तो इनको प्रार्थीगण बनाया और न ही अप्रार्थीगण के रूप में अपने प्रार्थना पत्र में संयोजित किया है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पक्षकारो के कुसंयोजन से होने के कारण खारिज किये जाने योग्य था इस बिन्दु को अपीलार्थीगण द्वारा गौर नहीं करने में भारी कानूनी भूल कारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में केवल अपीलार्थीगण की भूमि में से ही रास्ता चाहा गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जानबुझकर खसरा संख्या 624 की आराजी में से रास्ता नहीं मांगा गया है जबकि खसरा संख्या 624 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की भूमि में जाने के लिए नजदीक व सुगम रास्ता हो सकता है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी हठधर्मीता से अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा एवं मातहत अदालत ने भी वास्तविक तथ्यो से परे जाकर पटवारी हल्का जीरावल द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 14.12.2022 व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस दिनांक 16.12.2022 को सही मानकर 849 फीट लंबा तथा 20 फीट चौडा रास्ता देकर बडी कानूनी भूल की है। अपीलार्थीगण की भूमि पूर्व में कम थी और उसमे से भी करीब 1 बीघा भूमि का रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को रास्ता दिलाकर बड़ी भूल कारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में रास्ता पारित करने से अपीलार्थीगण के खसरा संख्या 625, 626/1, 626/2 से 26 में जाने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त मार्ग के दोनो ओर तारबंदी करके मार्ग अवरूद्ध करेगा जिससे अपीलार्थीगण की भूमि दो भागो में विभाजित हो जाएगी।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा जीरावल पटवार हल्का जीरावल तहसील रेवदर में खसरा संख्या 628/2 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा व खसरा संख्या 629/2 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा में आने जाने हेतु अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 626/2, 625, 626/1 में से रास्ता प्रदान करने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 6 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार रेवदर द्वारा पटवारी जीरावल से मौका फर्द प्राप्त कर अपने प्रति–हस्ताक्षर के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

3. राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के अनुसार नवीन रास्ते के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं या भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न पद के अधिकारी से मौके की रिपोर्ट मंगाई जायेगी और उस रिपोर्ट पर प्रभावित व्यक्तियों की आपत्तिया आमंत्रित की जावेगी। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारो की सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद संतुष्ट होने पर यदि रास्ते की आवश्यकता है तथा वह केवल सुविधा के लिए नहीं है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो नया रास्ते के प्रार्थना पत्र को मंजुर कर सकेगा।

4. हस्तगत प्रकरण में जांच प्रतिवेदन हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया जो कि धारा 251 क के प्रकरणो में जांच प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। अतः हस्तगत प्रकरण में धारा 251 ए तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 व 70 द्वारा विहित प्रक्रिया का उल्लघन किया जाकर पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कराई गई है। जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे 2019(2) पृष्ठ 663 एचसी उनवानी रामप्यारी कुम्हार बनाम राजस्व मण्डल के मामले में माननीय राजस्थान उच्च

राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 251ए के अन्तर्गत नये रास्ते के स्वीकति हेतु पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट अवैध है।

6. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण व दूषित होने से एवं अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2022 बअनवान भखाराम बनाम उमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न अधिकारी से उभयपक्षकारान को सूचित करते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा धारा 251–क के प्रकरणों के लिए विहित प्रारूप एवं प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर विधिनुरूप प्रकरण पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है, कि वे दिनांक 09.03.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रेवदर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner